

महत्वपूर्ण एवं खास

बालिका लापता, अज्ञात आरोपी पर मामला दर्ज

रायगढ़। दिनांक 24.04.2021 को थाना घरघोड़ा में बालिका के लापता होने की रिपोर्ट उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई है। बालिका के पिता ने बताया कि दिनांक 22.04.2021 के सुबह 5 से 6 बजे के बीच से बालिका लापता है, जिसे रिस्तेदारों के घर जहां जा सकती है वहां जाकर पता लगा चुके हैं, रिस्तेदारों के घर कहीं भी पता नहीं चल रहा है। बालिका अपने साथ मोबाइल, आधार कार्ड, बैंकपास बुक साथ ले गई है। थाना घरघोड़ा में नबालिग बालिका के गुम रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 102/2021 धारा 363 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

महिला से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 25/04/2021 को थाना कोतवाली में महिला द्वारा मोहम्मद शहजाद पिता मो. शहरात उम्र 40 वर्ष निवासी बीडपारा रायगढ़ के विरुद्ध छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता बताई कि मो. शहजाद आज दिनांक 25.04.2021 के सुबह करीब 09.30 बजे पिकअप लाकर घर के सामने खड़ी कर दिया, जिसे घरवाले पिकअप किनारे लगाने बोले तो झगड़ा करने लगा और बड़ी गंदी नियत से शरीर को स्पर्श कर अश्लील बातें कहने लगा। पीड़ित महिला के लिखित आवेदन पर आरोपी मो० शहजाद के विरुद्ध धारा 294,506,323,354 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है।



कोविड पॉजिटिव मरीजों के कांटेक्ट ट्रेसिंग हेतु उपायुक्त नगर निगम सुतीक्षण यादव नोडल अधिकारी नियुक्त

नोडल अधिकारी नियुक्त

रायगढ़। रायगढ़ जिले में नोबेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों की संभावित वृद्धि को देखते हुए रायगढ़ शहरी क्षेत्र में कोविड पॉजिटिव मरीज जिनके मोबा.नं. ट्रेस नहीं हो पाते अथवा गलत मोबाइल नम्बर दर्ज कराये जाने के कारण उनसे सम्पर्क नहीं हो पाने के फलस्वरूप होम आईसोलेशन/क्रॉइटीन करने की कार्यवाही में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जिसके लिये कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड पॉजिटिव मरीजों के कांटेक्ट ट्रेसिंग हेतु उपायुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ सुतीक्षण यादव, मोबा. 94252-52526 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कोविड हॉस्पिटल के मॉनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों की संभावित वृद्धि को देखते हुए कोविड हॉस्पिटल के मॉनिटरिंग/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जिनमें एम.सी.एच.रायगढ़ में डिप्टी कलेक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता, मेडिकल कालेज रायगढ़ में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे एवं केआईटी रायगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी.आदित्य को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाते 6 गिरफ्तार, 1 लाख 45 हजार रुपये व सट्टा पट्टी जब्त

रायपुर (आरएनएस)। आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने की सूचना पर पुलिस छापामारकर 6 नग मोबाइल व 1 लाख 45 हजार रुपये नगदी जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल को रात 7 बजे के आस-पास खमताराई पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर महात्मा गांधी होटल डब्लू आरएस कालोनी में आईपीएल क्रिकेट मैच में इंटरनेट के माध्यम से सट्टा खिलाने की सूचना पर छापामारकर रेंड की कार्यवाही कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, नाम पता पूछने पर अपना नाम जितेश्वर सिन्हा 23 वर्ष पिता सुशील सिन्हा, शुभम शर्मा 24 वर्ष पिता कृष्ण कुमार सिन्हा, गणेश राव 23 वर्ष पिता सन्यासी राव, मंगलेश सिंह 22 वर्ष पिता एस व्ही सिंह, सोनी चाम 29 वर्ष पिता व्ही आर वर्मा, हरीश खन्ना 24 वर्ष पिता जे ए खान निवासी खमताराई का रहने वाला बताए, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 06 नग मोबाइल फोन तथा 1 लाख 45 हजार रुपये नगदी एवं सट्टा पट्टी जब्त की है। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 4(क) के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

रायगढ़ जिला संपूर्ण क्षेत्र अब 6 मई तक रहेगा कंटेनमेंट जोन, कलेक्टर सिंह ने जारी किया आदेश

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर रायगढ़ संपूर्ण जिला क्षेत्र को 27 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। उन्होंने इस अवधि को बढ़ाते हुये रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 06 मई 2021 प्रातः 06 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में रायगढ़ जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी। यह आदेश 27 अप्रैल 2021 की रात्रि 12 बजे से लागू होगा। अतः इस आदेश के अंतर्गत अनुमति प्राप्त गतिविधियों का संचालन उसी अनुसार 28 अप्रैल से किया जा सकेगा।

उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके



निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालकों द्वारा निर्धारित समयवधि में

मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। सभी प्रकार की मॉडिंग तथा थोक/ फुटकर

एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोड्डन में लोडिंग/ अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से प्रातः 4 बजे तक दी जाती है। फल, सब्जी, अंड, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 6 बजे से अपराह्न 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/डेली वालों/पिक-अप/मिनी ट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर वैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा आम जनता

हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयवधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। स्थानीय ऑनलाईन

शॉप तथा ई-कामर्स सेवाओं यथा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयवधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु शॉप/स्टोर आम जनता हेतु नहीं खुलेंगे। उपरोक्तानुसार होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन हाउस ड्राइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जायेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाँच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सिनेशन कराना

आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा किसी दुकान में होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जायेगा। संबंधित नगरीय/ ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/किराना दुकानों से सम्पर्क हेतु उनके मोबाइल नंबर/पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/डिली को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।

पेज 3 पर...

लॉक डाउन में खुले मिले 3 दुकानों को एसडीएम ने किया सील



रायगढ़। लॉकडाउन में दुकानों का संचालन प्रतिबंधित है। आज रायगढ़ शहर में तीन दुकानों को इस दौरान संचालित होते पाए जाने पर रायगढ़ एसडीएम युगल किशोर उर्वशा ने सील कर दिया। आज निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन परिसर स्थित जगन्नाथ लॉज एवं रेस्टोरेंट, रमेश ट्रेडर्स एवं अग्रवाल ट्रेडर्स को लॉकडाउन में संचालित होते पाए जाने पर सील कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण व रोकथाम के लिए कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में 6 मई तक लॉक डाउन घोषित किया है। इस बीच निर्देश विरुद्ध दुकानों का संचालन होने पर कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर भीम सिंह ने सभी एसडीएम को दिये हैं। उन्होंने दुकानों की नियमित जांच करने व शिकायत मिलने पर सख्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। इसी क्रम रायगढ़ में एचडीएम युगल किशोर उर्वशा ने आज उक्त तीन दुकानों को सील करने की कार्यवाही की।

लाखों के सट्टा पट्टी के साथ 40 हजार नकदी व 4 मोबाइल के साथ दो गिरफ्तार

आईपीएल क्रिकेट सट्टा पर खरसिया पुलिस की दो बड़ी कार्रवाई

खरसिया। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर कोतवाली, तमनार के बाद कल दिनांक 25.04.2021 को खरसिया थानाक्षेत्र में थाना खरसिया व चौकी खरसिया स्टाफ द्वारा देर शाम आईपीएल के राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट मैच के दौरान पुरानी बस्ती खरसिया के अभिषेक जयसवाल एवं रायगढ़ रोड खरसिया में रहने वाले सुभेष उर्फ मोनू अग्रवाल मोबाइल पर सट्टा लेने की सूचना पर खरसिया पुलिस द्वारा टीम बनाकर एक साथ दोनों जगहों पर रेड किया गया।

लॉकडाउन ड्यूटी के बीच थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक सुमंत राम साहू थाने के स्टाफ लेकर कल दिनांक 25.04.2021 के शाम चौकी खरसिया पहुंचे। चौकी प्रभारी एवं स्टाफ को पुलिस अधीक्षक एवं एसडीएमोपी खरसिया द्वारा क्रिकेट सट्टा पर कार्यवाही करने के निर्देशों के संबंध में स्टाफ को ब्रीफ कर 2 टीम बनाये। टीआई खरसिया के हमराह उपनिरीक्षक



जय मंगल पटेल, प्रधान आरक्षक लक्ष्मी राठौर, आरक्षक विशोप सिंह, प्रदीप तिवारी, किशोर राठौर महिला और महिला आरक्षक तारामणी एका की एक टीम रायगढ़ रोड खरसिया में रहने वाले सुभेष उर्फ मोनू अग्रवाल के घर छापेमारी किया गया। मोनू अग्रवाल अपने मोबाइल पर आईपीएल लाइव क्रिकेट मैच में क्रिकेट सट्टा खिलाने के लिए मोबाइल ऐप यूज कर व्हाट्सएप में सट्टा लगाने वालों के रूपों के साथ डिटेल् लिखा हुआ था, व्हाट्सएप के इनबॉक्स में एक लाख से अधिक रूपयों का हिसाब मिला है। आरोपी के पास से दो मोबाइल (सैमसंग गैलेक्सी S8, सैमसंग गैलेक्सी E-7) तथा नकदी रकम 30,000 रुपए की

जब्ती की गई है। आरोपी सुभेष उर्फ मोनू अग्रवाल पिता गजानंद उम्र 35 वर्ष निवासी रायगढ़ रोड खरसिया पर धारा 4(क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की कार्यवाही की गई है।

दूसरी टीम चौकी प्रभारी खरसिया उपनिरीक्षक नंद किशोर गौतम के हमराह प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन, आरक्षक किर्ती सिदार, साविल चन्द्रा, सोहन यादव और महिला आरक्षक सलीमा टोपेटो की बनाई गई थी, इस टीम द्वारा पुरानी बस्ती खरसिया में रहने वाले अभिषेक जयसवाल के घर छापेमारी किया गया। अभिषेक जयसवाल अपने मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी एस6 में मैच देखते हुए क्रिकेट लाइन गुरु

औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाइयों में करावें कोविड प्रोटोकॉल का पालन: एसपी

पूँजीपथरा क्षेत्र के भ्रमण पर थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक के निर्देश

शादीघरों में दें समझाईश, असाहाय लोगों की करें सहायता

रायगढ़। दिनांक 25.04.2021 को पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा पूँजीपथरा क्षेत्र का दौरा किया गया। क्षेत्र के भ्रमण पर पुलिस अधीक्षक प्लांटों तथा गांव व जाकर व्यवस्था देखे जिसके बाद थाना पहुंचकर प्रभारी एवं स्टाफ को ब्रीफ किये। थाना प्रभारी पूँजीपथरा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह को निर्देशित किये कि रेल से यात्रा कर आ रहे लोगों को रायगढ़ में क्रॉइटीन किया जा रहा है किन्तु अन्य साधनों से लोग सीधे अपने गांव पहुंच रहे हैं। पूँजीपथरा क्षेत्र में बाहरी



लोगों की बसाहट अधिक है, सभी ग्राम पंचायत में जाकर हदियत दें कि बाहर से आये लोगों की सूचना देकर ब्रीफ किये। थाना प्रभारी पूँजीपथरा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह को निर्देशित किये कि रेल से यात्रा कर आ रहे लोगों को रायगढ़ में क्रॉइटीन किया जा रहा है किन्तु अन्य साधनों से लोग सीधे अपने गांव पहुंच रहे हैं। पूँजीपथरा क्षेत्र में बाहरी

प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है या नहीं, जहां कहीं प्रबंधन द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, तो कार्यवाही करें। उनके द्वारा शादीघरों में जाकर कोविड गाइडलाइन का पालन करने की समझाईश देने को कहा गया तथा समझाईश के जा रहा है, इसी प्रकार नियमित रूप से कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। वे स्टाफ को बताये कि कोराना की पहली

राजधानी अस्पताल आगजनी मामले में एफएसएल और विद्युत विभाग की टीम पहुंची जांच के लिए

रायपुर (आरएनएस)।

जिले के राजधानी सुपरस्पेशलिस्ट अस्पताल में बीते दिनों आगजनी की घटना की जांच के लिए पहुंची एफएसएल और विद्युत विभाग की टीम। बताया जा रहा है कि एफएसएल के वरिष्ठ वैज्ञानिक टी एल चंद्रा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच टीम अस्पताल पहुंची है। साथ ही विद्युत विभाग के निरीक्षक भी टीम में शामिल है। जांच टीम पीपीई किट पहनकर अस्पताल के अंदर जाकर जांच कर रही है, खरसिया टीम ने मौके से करीब 12 सैम्पल भी सीलबंद किये हैं। टीम ने जानकारी दी कि दोनों विभाग



एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट दे देंगे। ज्ञातव्य है कि रायपुर के राजधानी अस्पताल में 1हफ्ते पहले आगजनी की घटना हुई थी। जिसमें 6 मरीजों ने अपनी जान गवाई थी। जिसकी जांच के लिए ये दिनों टीम यहाँ पहुँची है। वहीं बताया गया कि एक हफ्ते बाद भी स्वास्थ्य विभाग और फयर सेफ्टी की टीम घटनास्थल नहीं पहुँची है।

बालिका से छेड़खानी, समझाईश देने घर गए तो किया मारपीट, आरोपी युवक समेत तीन गिरफ्तार

रायगढ़। बालिका से छेड़खानी और बालिका के घरवालों से मारपीट मामले में तीन आरोपियों को पुरौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी के अनुसार दिनांक 24.04.2021 को थाना पुरौर में बालिका के परिजन आकर रिपोर्ट दर्ज कराये कि दिनांक 24.04.2021 के शाम बालिका घर के पास सिलाई के लिये दिये कपड़े लेने गई थी जिसे रास्ते में ग्राम गुडु का हेमंत केंवट छेड़खानी किया। बालिका घर आकर बताई तो



हेमंत केंवट के घर गये, उस समय हेमंत घर पर नहीं था उसके पिता मालिक राम केंवट को बताया कि हेमंत छेड़खानी किया है। तब मालिक राम केंवट उसको बोले मेरे को क्यों बोलते हो कहकर गाली गलौच कर डंडा लेकर मारपीट करने लगा। उसी समय हेमंत और गांव का लोचन गुप्ता भी आकर बालिका के परिजनों से हाथ मुक्का, डंडे से मारपीट किये। घटना के बाद डायल 112 को कॉल कर बालिका के परिजन

हार्डवेयर दुकान में सेंध लगाकर हजारों की चोरी

रायपुर (आरएनएस)। हार्डवेयर दुकान में सेंध लगाकर चोर अंदर रखे सिलिंग फैन, कुलर पंखा का मोटर, पंप एवं नगदी रुपये चोरी कर लेने की रिपोर्ट तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार गली नंबर 05 तेलीबांधा निवासी गोपाल तोलानी 51 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि तेलीबांधा चौक के पास प्रार्थी का कृष्णा हार्डवेयर के नाम से दुकान है। 24 व 25 अप्रैल की दरमियानी रात कोई अज्ञात चोर दिवाल में सेंध लगाकर अंदर रखा 12 नग सिलिंग पंखा, कुलर पंखा का मोटर 07 नग, पंप 20 नग, पलास्टिक का बिजली पाईप, फेब्रीक्वीक 2000 हजार रुपये का, 12 बंडल वायर, एवं नगदी 3 हजार रुपये सहित अन्य सामान चोरी कर लिया है।

स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों की कौशल परीक्षा 26 एवं 27 अप्रैल को

रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ द्वारा जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष का 26 अप्रैल एवं द्वितीय ए.एन.एम.का 27 अप्रैल 2021 को प्रातः 10 बजे से नगर पालिक निगम ऑडिटोरियम, रायगढ़ में कौशल परीक्षा का आयोजन किया गया है। कौशल परीक्षा (लिखित) हेतु आने वाले अभ्यर्थियों को शासन द्वारा जारी कोविड-19 के गाइड लाईन पालन का करते हुये दर्शाये गये स्थल में समयानुसार उपस्थित होना होगा।

अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक निर्देश-

कौशल परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को स्वयं का एक रंगीन पासपोर्ट फोटो, परिचय पत्र (आधार कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/राशन कार्ड/बैंक पासबुक की मूल प्रति फोटोयुक्त या अन्य कोई परिचय पत्र जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त) लिखित परीक्षा के दिन अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु पूर्व में जारी सूची में उल्लेखित सरल क्रमांक अनुसार अपने-अपने की पृष्ठ की प्रिंट आऊट, जैसे भी

यथासंभव सुविधानुसार दिखाये जाना होगा। लिखित परीक्षा 30 मिनट का होगा जिसमें 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उत्तर पुस्तिका लिखने हेतु ए-4 साईज का तख्ती/ पेपर दफती साथ में लेते आये जिससे कि रखकर लिखा जा सके। अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या अन्य कोई ऐसी वस्तु जिसमें परीक्षा हेतु व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, साथ में रखना वर्जित रहेगा। अभ्यर्थी स्वयं प्रवेश पत्र तैयार करेंगे इस हेतु निर्देश एवं नमूना हेतु प्रवेश पत्र निर्देशिका संलग्न है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु जिले के न्यूवसाइट का अवलोकन कर सकते हैं।